संख्या- 04/2026/I/1194910/2026 **/71-1002(002)/4/2021**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** : 05-01-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/320, दिनॉक 10.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 513.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-01-110-15-02-सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा के मानक मद 41-भोजन व्यय में रू0 300.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के विभिन्न मानक मदों में रू0 7.00 लाख, इस प्रकार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 307.00 लाख (रू0 तीन करोड़ सात लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वंय उत्तरदायी होंगे।
5. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210011101502 सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा	41 भोजन व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000** **(रुपये तीन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050338 मेडिकल कालेज आगरा	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	031	2210051050338 मेडिकल कालेज आगरा	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
	कुल			**7,00,000** **(रुपये सात लाख मात्र)**
महायोग				3,07,00,000 (रुपये तीन करोड़ सात लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 05-01-2026 14:06:26

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-002-4-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा एवं एस0एन0 चिकित्सालय, आगरा हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	22100111015020055 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	(मकान किराया भत्ता)	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	23,00,000 रुपये तेईस लाख मात्र	23,00,000 रुपये तेईस लाख मात्र	0 शून्य	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	2025-2026
031	22100111015020010 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	(जलकर / जल प्रभार)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	0 शून्य	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2025-2026
031	22100111015020009 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	(विद्युत देय)	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	1,67,00,000 रुपये एक करोड़ सड़सठ लाख मात्र	3,33,00,000 रुपये तीन करोड़ तैंतीस लाख मात्र	2025-2026
031	22100111015020003 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	(मंहगाई भत्ता)	13,17,00,000 रुपये तेरह करोड़ सत्रह लाख मात्र	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	11,77,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 5,13,00,000	₹ 3,07,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)	15 (गाड़ियों का अनुरक्षण	4,50,000 रुपये चार लाख पचास हजार मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	6,50,000 रुपये छह लाख पचास हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 5,13,00,000	₹ 3,07,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		और पेट्रोल आदि की खरीद)					
031	2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	18,00,000 रुपये अठारह लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	41 (भोजन व्यय)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	4,90,00,000 रुपये चार करोड़ नब्बे लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 5,13,00,000	₹ 3,07,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मे०का०, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2025 द्वारा अवगत कराया है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा से सम्बद्ध चिकित्सालय के अन्तर्गत मानक मद-03-महँगाई भत्ता में रू0 140.00 लाख, मानक मद-09-विद्युत देय में रू० 250.00 लाख, मानक मद-10-जलकर / जलप्रभार में रू० 100.00 लाख तथा मानक मद-55-मकान किराया भत्ता में रू0 23.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 513.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा ने अपने पत्र दिनांक-10.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा में मानक मद-41-भोजन व्यय में रू0 490.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, आगरा में मानक मद-11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई में रू0 18.00 लाख, मानक मद-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू0 5.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 513.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-187-E-3-184-X-2025-26-दिनांक: 22-12-2025

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव।

(कपिल देव भारती)

अनु सचिव।

संख्या : / , दिनांक- दिसंबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव।